

विषय : गवाहों की अदालत में हाजिरी ।

सन् १९६१ में जब पुलिस अधिनियम लागू हुआ था, उस समय दूसरी सरकारी एजेंसियाँ नहीं के बराबर थीं। परिणामस्वरूप हर विभाग को कार्य-संपादन के लिए अपने साधनों पर ही निर्भर करना पड़ता था। यह बात पुलिस विभाग के संबंध में भी सही थी। डाक विभाग का दायरा बहुत छोटा था, इसीलिए पुलिस उसकी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती थी। आज डाक विभाग देश के कोने-कोने में पहुँच चुका है। इस व्यापक सेवा का उपयोग नहीं करना हमारी अदूरदर्शिता होगी। दो पुलिस थानों में किए गए प्रयोग ने यह दर्शाया है कि डाक का पता मालूम होने पर गवाहों को अदालत में उपस्थित होने के लिए सूचित करना बहुत आसान हो जाता है। यह भी पाया गया है कि डाक द्वारा अपने खिलाफ वायफ्ट निकलने की सूचना मात्र मिलने से गवाह तत्परतापूर्वक अदालत में उपस्थित हो जाते हैं।

सदररी अदालतों के मुकदमों में जारी किए गए सम्मन का वितरण मुश्किल हो जाता है क्योंकि पुलिस थानों के कामकाज इन व्यक्तियों से अवगत नहीं होने हैं। चलायमान आवादी जनसंख्या की वजह से पुलिस थानों के कामकाज का दायरा बहुत बड़ा है। डाक के माध्यम से न केवल इन गवाहों की सूचना का वितरण विद्यमान होगा बल्कि सम्मन वितरण के लिए पुलिस थानों की आवश्यकता भी कम होगी। इसके अलावा ही यह नतीजा हम सुक्रीम में है कि पुलिस थानों में अब डाक द्वारा जो कुछ वायफ्ट का काम होता है उसे पुलिस थानों में ही करवा दिया जाये। पुलिस थानों में अब डाक द्वारा जो कुछ वायफ्ट का काम होता है उसे पुलिस थानों में ही करवा दिया जाये। पुलिस थानों में अब डाक द्वारा जो कुछ वायफ्ट का काम होता है उसे पुलिस थानों में ही करवा दिया जाये।

डाक विभाग के द्वारा सम्मन के वितरण विधिवत किए जाने पर

सदररी अदालतों के मुकदमों में जारी किए गए सम्मन का वितरण मुश्किल हो जाता है क्योंकि पुलिस थानों के कामकाज इन व्यक्तियों से अवगत नहीं होने हैं। चलायमान आवादी जनसंख्या की वजह से पुलिस थानों के कामकाज का दायरा बहुत बड़ा है। डाक के माध्यम से न केवल इन गवाहों की सूचना का वितरण विद्यमान होगा बल्कि सम्मन वितरण के लिए पुलिस थानों की आवश्यकता भी कम होगी। इसके अलावा ही यह नतीजा हम सुक्रीम में है कि पुलिस थानों में अब डाक द्वारा जो कुछ वायफ्ट का काम होता है उसे पुलिस थानों में ही करवा दिया जाये। पुलिस थानों में अब डाक द्वारा जो कुछ वायफ्ट का काम होता है उसे पुलिस थानों में ही करवा दिया जाये। पुलिस थानों में अब डाक द्वारा जो कुछ वायफ्ट का काम होता है उसे पुलिस थानों में ही करवा दिया जाये।

इस प्रकार डाक विभाग द्वारा जारी किए गए सम्मन का वितरण मुश्किल हो जाता है क्योंकि पुलिस थानों के कामकाज इन व्यक्तियों से अवगत नहीं होने हैं। चलायमान आवादी जनसंख्या की वजह से पुलिस थानों के कामकाज का दायरा बहुत बड़ा है। डाक के माध्यम से न केवल इन गवाहों की सूचना का वितरण विद्यमान होगा बल्कि सम्मन वितरण के लिए पुलिस थानों की आवश्यकता भी कम होगी। इसके अलावा ही यह नतीजा हम सुक्रीम में है कि पुलिस थानों में अब डाक द्वारा जो कुछ वायफ्ट का काम होता है उसे पुलिस थानों में ही करवा दिया जाये। पुलिस थानों में अब डाक द्वारा जो कुछ वायफ्ट का काम होता है उसे पुलिस थानों में ही करवा दिया जाये। पुलिस थानों में अब डाक द्वारा जो कुछ वायफ्ट का काम होता है उसे पुलिस थानों में ही करवा दिया जाये।

इस प्रकार डाक विभाग द्वारा जारी किए गए सम्मन का वितरण मुश्किल हो जाता है क्योंकि पुलिस थानों के कामकाज इन व्यक्तियों से अवगत नहीं होने हैं। चलायमान आवादी जनसंख्या की वजह से पुलिस थानों के कामकाज का दायरा बहुत बड़ा है। डाक के माध्यम से न केवल इन गवाहों की सूचना का वितरण विद्यमान होगा बल्कि सम्मन वितरण के लिए पुलिस थानों की आवश्यकता भी कम होगी। इसके अलावा ही यह नतीजा हम सुक्रीम में है कि पुलिस थानों में अब डाक द्वारा जो कुछ वायफ्ट का काम होता है उसे पुलिस थानों में ही करवा दिया जाये। पुलिस थानों में अब डाक द्वारा जो कुछ वायफ्ट का काम होता है उसे पुलिस थानों में ही करवा दिया जाये। पुलिस थानों में अब डाक द्वारा जो कुछ वायफ्ट का काम होता है उसे पुलिस थानों में ही करवा दिया जाये।

डाक पते की उपलब्धि से पर्यवेक्षी अधिकारियों के लिए गवाहों आदि को इस बात को ध्यान में लिए बुला सकना भी आसान होगा कि स्थानीय पुलिस द्वारा लिया गया बयान, जो केन्द्रीय आवेदन में दर्ज है, पूर्ण और सही है या नहीं।

५. तत्कालिक प्रभाव से इस पुलिस आदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जावे। पदाधिकारी कृपया इसे मुनिष्ठितन करवायेंगे।

विजय जैन

(विजय जैन)

सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली

अनुपालक-३

सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली

आदेश संख्या: १३-१-७३

- 1. सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली
- 2. सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली
- 3. सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली
- 4. सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली
- 5. सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली
- 6. सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली
- 7. सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली
- 8. सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली
- 9. सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली
- 10. सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली

विजय जैन

(विजय जैन)

सहायक निदेशक, पुलिस, दिल्ली

Original No. _____

Date: _____

Page No. _____

File No. _____